**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 952**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 8 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया गया)**

**पी.पी.आई.आर.पी. का आरंभ**

**952. श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः**
**श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः**
**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**
**श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः**
**श्री कुरुवा गोरांतला माधवः**
**श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**
**श्री संजय काका पाटीलः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि जाँचोपाय सहित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत शोधन के समाधान के लिए एक विकल्प के रूप में प्री-पैकेज्ड दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (पी.पी.आई.आर.पी.) आरंभ की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आज की तिथि तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की कार्य दक्षता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

**(क) और (ख):** सरकार ने प्रीपैक तथा प्री-अरेंज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया के बारे में सिफारिश करने के उद्देश्य से दिनांक 24 जून, 2020 के आदेश के तहत दिवाला विधि समिति (आईएलसी) की उप-समिति गठित कर दी है। इस उप-समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) की बुनियादी संरचना के अंतर्गत एक प्रीपैक ढांचे की संस्तुति की और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हितधारकों/आम जनता से दिनांक 08 जनवरी, 2021 को उपर्युक्त रिपोर्ट के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित की गईं थीं। जनता की ओर से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है।

**(ग) और (घ):** सरकार के पास सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 16 नवंबर, 2017 के आदेश के तहत गठित आईएलसी (दिनांक 06 मार्च, 2019 के आदेश के तहत

स्थायी समिति के रूप में पुनर्गठित) के माध्यम से संहिता के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने एवं उसकी निगरानी करने हेतु एक नियमित तंत्र उपलब्ध है ताकि संहिता के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सिफारिशों/अभ्यावेदनों के बारे में सरकार को सिफारिश की जा सके। इस समिति के सदस्य विभिन्न पेशेवर संस्थानों, उद्योग चैम्बरों तथा विभिन्न संकायों के क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। सरकार ने आईएलसी की सिफारिशों के आधार पर त्वरित रूप से उपचारात्मक कदम उठाने के साथ-साथ और संहिता के सुगम कार्यान्वयन हेतु उसमें अपेक्षित संशोधन सुनिश्चित किए।

******